अभयपक्षों के तर्क सुने गए। प्रकरण आवेदन पत्र धारा 125 के आदेश हेतु दिनांक 12.05.17 को

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

12/05/17

अविदिका द्वारा अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर।
अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव।
प्रकरण भरण पोषण के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।
धारा 125 दप्रस के आवेदन पत्र के संबंध में आदेश खुले न्यायालय
का आवेदन स्वीकार किया गया।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अमिलेखागार

A. K. Gold Magistrale First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)